न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर
जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 46 / 2018
वाद— अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

मोहन आत्मज हीरालाल जाट निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. मांगु आत्मज किशना जाट
2. रतनलाल आत्मज दलीचन्द जाट
3. मु0 चुन्नी बेवा दलीचन्द जाट
4. सुरेश आत्मज भैरूलाल जाट
5. सीता पुत्री भैरूलाल जाट
6. रूकमण बेवा भैरूलाल जाट
7. चांदी बेवा हेमा जाट
8. नानी पुत्री हेमा जाट
9. संतोक पुत्री हेमा जाट
10. लादुलाल आत्मज जगन्नाथ शर्मा (ब्राह्मण)
    सर्व निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः— श्री एस0के0जैन
प्रतिवादी :—पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

दिनांक 28.02.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी राजस्व ग्राम अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा की सीमा में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1878 रकबा 0.47 हे0, 1892 रकबा 0.05 हे0, कृषि भूमि खाता संख्या 469 पर स्थिति है। उक्त खाते में समाविष्ट खातेदार अलोल बेवा हीरा जाट का निधन हो चुका हैं।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत 9 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 10 के हक व हिस्से को भी प्रतिवादी संख्या एक लगायत 9 के परिवार द्वारा विक्रय किया गया है। वादी की आराजियात से सटमा प्रतिवादी

संख्या एक लगायत दस की आराजी संख्या 1867, 1868, 1869, 1870, 1885, 1888, 1889 खाता संख्या 429, 444, 501 में वर्णितानुसार स्थित हैं।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस अपनी अपनी आराजिया तमे सदैव से हर प्रकार के साधनों सहित आवागमन आराजी संख्या 1869 के दक्षिणी ओर स्थित रास्ते पर से होकर चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में भी अंकित हैं।

यह कि वादी की आराजियात में से प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस ने कभी भी अपनी आराजियात में आवागमन नही किया है। वादी की आराजी संख्या 1878 की पश्चिमी व आराजी संख्या 1892 की पूर्वी पाली पर कोई रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं हैं।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस आपस में एकमत हो ताकत के बल पर वादी की आराजियात में से जबरन नवीन रास्ता कायम करते हुए आवागमन करना चाहते है। जबकि प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस अपनी अपनी आराजी में से सदैव आवामगन आराजी संख्या 1869 के दक्षिणी ओर राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित रास्ते पर से होकर करते चले आ रहे है। वादी की आराजियात में से प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस को कोई आवागमन करने का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी उनके द्वारा दिनांक 25.02.2018 को वादी की आराजियात में से आवागमन करने का असफल भरसक प्रयास किया वादी ने प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस को अपनी आराजियात में से आवागमन करने बाबत मना किया तो प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस इस बाबत मानने को तैयार नही हुए तथा वादी को यह धमकी दी कि हम किसी भी कीमत पर आपकी आराजियात में से आवागमन करके रहेंगे। जिससे प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस वादी की आराजी संख्या 1878 व 1892 में से होकर आवागमन किसी भी प्रकार से न तो स्वयं करें ओर न इस बाबत् किसी अनरू को प्रेरित करे।

यह कि प्रतिवादी संख्या 11 लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार हाने से उन्हे प्रतिवादीगण बनया गया हैं।

वादी ने प्रार्थना की हैं कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस वादी की आराजी संख्या 1878 एवं 1892 में से होकर किसी भी प्रकार से आवागमन न तो स्वयं करें और न ही इस बाबत् किसी अन्य को प्रेरित करें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 02.04.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहेने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 11 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती हैं ।

वादी की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 प्रस्तुत किया हैं। जिसमें राजस्व ग्राम अड्सीपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 469 पेश की जो प्रदर्श –1 हैं । राजस्व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 हैं। जमाबंदी खाता संख्या 429 प्रदर्श –3 है। जमाबंदी खाता

संख्या 444 प्रदर्श –4 हैं। जमाबंदी खाता संख्या 501 प्रदर्श–05 है। वादी ने अपनी साक्ष्य में कुल 5 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तवेज साक्ष्यों अनुसार वादी को राहत दिया जाना उचित प्रतित होता हैं।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं कि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस वादी की आराजी संख्या 1878 एवं 1892 में से होकर किसी भी प्रकार से आवागमन न तो स्वयं करें और न ही इस बाबत् किसी अन्य को प्रेरित करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 46 / 2018

वाद– अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

मोहन आत्मज हीरालाल जाट निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. मांगु आत्मज किशना जाट
2. रतनलाल आत्मज दलीचन्द जाट
3. मु0 चुन्नी बेवा दलीचन्द जाट
4. सुरेश आत्मज भैरूलाल जाट
5. सीता पुत्री भैरूलाल जाट
6. रूकमण बेवा भैरूलाल जाट
7. चांदी बेवा हेमा जाट
8. नानी पुत्री हेमा जाट
9. संतोक पुत्री हेमा जाट
10. लादुलाल आत्मज जगन्नाथ शर्मा (ब्राह्मण)
    सर्व निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री एस0के0जैन
प्रतिवादी :–पेरोकार सरकार

दिनांक 28.02.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0जैन, पेरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि –––––×––––– और इस वाद के खर्च लेखे –––––×––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर –––––×––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित –––––×––––– द्वारा –––––×––––– को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं कि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस वादी की आराजी संख्या 1878 एवं 1892 में से होकर किसी भी प्रकार से आवागमन न तो स्वयं करें और न ही इस बाबत् किसी अन्य को प्रेरित करें। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.28 15:46:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: